


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <b>रामकरण बनाम गिर्राज</b> <b>71/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00064)</b>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.20	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई, अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार आवाजे दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण वर्ष 2018 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम भी पेश भी नहीं किया गया है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं है एवं अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(के0सी0वर्मा)</b>      संध्यामीरा आयुक्ता,      जयपुर। </p>	